<u>भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता</u>

भूतपूर्व सैनिकों (जे0सी0ओ0 रैक तक) की विधवाओं की दो पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 1,00,000/- (दरें दिनांक 01 अप्रैल 2020 से संशोधित) प्रति पुत्री की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

<u>अर्हताऐं</u>

(1) विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(2) प्रार्थना पत्र के साथ डिस्चार्ज बुक की प्रमाणित छायाप्रति, कन्या एवं वर की पूरी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, वर एवं कन्या के विवाह कार्ड या प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह सम्पन्न होने संबंधी प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक की विधवा का बैंक खाते का विवरण (सभी प्रपत्र सत्यापित) अवश्य संलग्न किया जाना चाहिये।

(3) ग्राम प्रधान/सभासद एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की प्रार्थना पत्र (फार्म प्रारूप) पर संस्तुति होनी चाहिये।

(4) प्रार्थना पत्र विवाह की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में आना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।

(5) यदि इस प्रयोजन हेतु शासन से सहायता प्राप्त हो चुकी है तो प्रार्थना पत्र निधि कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये।